No. 19047/1/2018-E.IV
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
****

New Delhi, 12th September, 2018

OFFICE MEMORANDUM

Subject:-Revision of pay of retired Judges of the Supreme Court and High Courts on their appointment in Commissions/Committees of Enquiry.

The undersigned is directed to refer to this Ministry's OM No. 19047/7/80-E.IV dated 08.10.1987 and OM No. 19047/21/09-E.IV dated 08.04.2009 on the subject mentioned above and to say that several references have been received in this Department seeking clarification on the applicability of revised pay scale of Judges of Supreme Court and High Court w.e.f. 01.01.2016 in respect of retired Judges of Supreme Court and High Court on their appointment as Chairman or Members of the Commissions/Committees set up by the Government.

2. The matter has been considered and it has been decided that pay together with pension and pension equivalent or other forms of retirement benefits, may be restricted to Rs. 2,25,000/- per month in case of retired High Court Judges and Rs. 2,50,000/- per month in case of retired Chief Justice of High Courts/Judges of Supreme Court w.e.f. 01.01.2016.

This is issued with the approval of Finance Minister.

(Nirmala Dev)
Deputy Secretary to the Government of India

To
All Ministries/Departments of the Govt. of India.

सं.19047/1/2018-ई.IV

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

***

नई दिल्ली,12 सितम्बर, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषयः जांच आयोगों/समितियों में नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के वेतन का पुनरीक्षण।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 08.10.1987 के का.ज्ञा. सं.19047/7/80–ई.IV और दिनांक 08.04.2009 के का.ज्ञा. सं.19047/21/09–ई.IV के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग में अनेक पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सरकार द्वारा गठित आयोगों/समितियों के अध्यक्ष या सदस्यों के रूप में नियुक्ति पर, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में 01.01.2016 से पुनरीक्षित वेतनमान की प्रयोज्यता के संबंध में स्पष्टीकरण मांगे गए हैं।

2. इस मामले पर विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि 01.01.2016 से पेंशन और पेंशन के बराबर या अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति लाभों के साथ वेतन, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के मामले में 2,25,000/- रु. प्रति माह और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश/उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के मामले में 2,50,000/- रु. प्रति माह सीमित रखा जाए।

इसे वित्त मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

निर्मला देव

(निर्मला देव)

उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।